



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर(CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmer2021@gmail.com

क्रमांक: अविविनिलि/अ.अ./योजना/आर.ई/अजमेर/21-22/प्रे. 1865 दिनांक 23-03-2022

आदेश

विषय-वर्ष 2022-23 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में ।

पूर्व में निगम से जारी आदेश क्रमांक 944 दिनांक 05.10.2020 (आर.ई.अज-289) द्वारा सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 31.12.2012 तक पंजीकृत आवेदक एवं सामान्य वर्ग के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदन एवं अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता पर जारी करने का प्रावधान किया गया था ।

माननीय मुख्यमंत्री की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के लक्ष्य के क्रम में डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फोरम की दिनांक 08.03.2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

सामान्य श्रेणी

प्रथम चरण- सामान्य श्रेणी के दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2022 से 15.04.2022 की समयावधि में जारी किये जावेंगे ।

द्वितीय चरण- सामान्य श्रेणी के दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2015 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र दिनांक 01.07.2022 से 15.07.2022 की समयावधि में जारी किये जावेंगे ।

सामान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही जमा किया जावे कि "आज दिनांक तक आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पम्प सेट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर सम्बन्धित विभाग द्वारा सोलर पम्प सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही प्रकियाधीन है ।"


तुरन्त प्राथमिकता

बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से किया जावें ।

सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के


रद्द कर दिया जावेगा । जिसके लिए सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में भेजकर जानकारी देना सभी वृताधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

मांग पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति-2017 एवं इसके पश्चात् समय-समय पर जारी होने वाले आर.ई.अज. तथा अन्य सम्बन्धित आदेशों के अनुसार जारी किये जायेंगे ।


(ई.राजीव वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक (तकनीकी/वित्त), अविविनिलि, अजमेर
2. अति./मुख्य अभियन्ता (पवस/आईटी/एमएण्डपी/प्रोजेक्ट/मुख्यालय/एमएम/टेनिंग एवं सुरक्षा सीएसएस), अविविनिलि., अजमेर / उदयपुर/झुंझुनु
3. मुख्य लेखाधिकारी (एएण्डआर/ईबीटी/आईए-डब्ल्यू एण्ड एम), अविविनिलि., अजमेर
4. सचिव (प्रशासन), अविविनिलि., अजमेर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अविविनिलि., अजमेर
6. अधीक्षण अभियन्ता (एमएम/टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड पी/वाणिज्य/प्रोजेक्ट/सतर्कता), अविविनिलि., अजमेर
7. अधीक्षण अभियन्ता (आरई/योजना), अविविनिलि., जयपुर
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी), अविविनिलि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
9. अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/एसीसी/एडीसी/ भीलवाडा/नागौर/झुंझुनु/सीकर/ बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ /प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर
10. कम्पनी सचिव, अविविनिलि., अजमेर
11. प्रावेधिक-सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, विद्युत भवन, अजमेर
12. प्रावेधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि., अजमेर
13. प्रावेधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अविविनिलि., अजमेर
14. अधिशांषी अभियन्ता(ग्रीवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि., अजमेर
15. अधिशांषी अभियन्ता (पवस), अविविनिलि.,(समस्त)
16. सहायक अभियन्ता (पवस), अविविनिलि.,(समस्त)
17. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अविविनिलि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु
18. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अविविनिलि., अजमेर


अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर